ment. Both Dadra and Nagar Haveli and Goa have been included in Category 'A' of the backward ateas *vide* Press Note issued on 27the April, 1983, copies of which are available in Parliament Library. As the Central Investment Subsidy is given to units actually established in backwards areas, the question of granting Central Investment Subsidy to any company having manufacturing activity in other parts of the country and showing their units operating from Dadra and Nagar Haveli and Goa, does not arise.

**Scientific advances may widen rich-poor gap**

3644. SHRI H. N. BAHUGUNA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that scientific advances in the developed countreis are widening rich-poor gap ; if so, details of dimension of this threat to this country (Finacial Express—dated 27 October, 1983) ;

(b) whether it is also a fact that India has the second largest scientific R & D system in the world next to the U.S.A. and and if so, reasons for lack of sufficient scientific advance aimed at rich-poor gap within the country and vis-a-vis developed countries ;

(d) whether it is also a fact that there has been a total failure in harnessing the country's scientific talent due to lack of suitable working environment for scientists ; and

(d) whether Government will set up an all-party Committee to look into the malaise and help Government in evolving a national policy and programme ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, AOMIC ENERGY, SPACE, ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ V. PATIL) : (a) This refers to a statement made by the President of France at the opening session of the 22nd General Conference of UNESCO. The statement made by him was of general nature with no specific reference to India or any other country. While this statement could be valid in relation to India also, it is very difficult to quantify the contribution of science and technology to economic development.

(b) While India is developing its scientific system, it cannot be considered to be the 2nd largest scientific R & D system. Many developed countries have invested and are investing substantially in R & D. R & D expenditure as percentage of GNP in India and U.S.A. is of the order of 0.7% and 2.5% respectively. The number of S & T personnel engaged in R & D per thousand of population in two countries is 0.10 and 2.99 respectively. In absolute amounts the differences are extremely large. Indian investments are directed towards India's specific needs and appropriate to its resourses. Among developing countries India is taking a lead in investing in science and technology on the basis of its own faith. These investments are making and will continue to make major contirbution to national development.

(c) No, Sir.

(d) It is felt there are sufficient mechanisms already available for monitoring the progress of S & T. National policies and programmes have already been evolved and are being pursued. In view of these there does not appear to be any need to constitute any new committee.

**स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन के मामलों में शीघ्र निपटारे हेतु व्यवस्थाएं**

3645. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान पेंशन (स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन) के मामलों का शीघ्र निपटारा

करने के लिए कोई नई व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) लम्बित पड़े इस प्रकार के आवेदन-पत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) जिन व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गई है उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार के उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिनके आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए गए हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट-सुब्बय्या)** : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। सरकार ने स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :— (1) सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सत्यापन कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और यह सुनिश्चित करें कि रिपोर्ट केन्द्र सरकार को अविलम्ब भेजी जाए, (2) गृह मंत्रालय के अनुदेशों पर अधिकांश राज्य सरकारों ने पेंशन के मामलों की शीघ्र समीक्षा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवक्षण में विशेष कक्ष स्थापित किए हैं। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे सभी लम्बित मामलों को निश्चित समय सारिणी के अन्दर निपटाने का अभियान चलाएं, (3) गृह मंत्रालय के अनुरोध पर अधिकांश राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने स्वतन्त्रता सेनानियों के मामलों की समीक्षा में सहायता करने के लिए राज्य स्तर पर समितियां गठित की हैं, (4) मृतक स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवाओं के मामलों में असैनिक पेंशन प्राप्त-कर्ताओं के बराबर परिवार पेंशन के स्वत: हस्तां-तरण करने का निर्णय किया गया है। स्वतन्त्रता सेनानियों के पक्ष में अब जारी की जा रही नई स्वीकृतियों के बारे में पत्नी और अविवाहित पुत्रियों, आदि कोई हों के नाम सम्बन्धित महालेखाकार को अनुदेशों के साथ सूचित किए जाते हैं जिससे उसे स्वीकार्य दरों पर परिवार पेंशन का प्राधिकार दिया जा सके। इस प्रकार विधवा, स्वतन्त्रता सेनानी की मृत्यु के तुरन्त बाद सम्बन्धित खजाना अधिकारी को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर परिवार पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकती है। पहले से स्वीकृत की गई पेंशन के मामले में और जहां स्वतन्त्रता सेनानी जीवित है, उसे सम्बन्धित महालेखाकार से सम्पर्क करने और शपथ पत्र फाइल करने, जिसमें उसकी पत्नी और अविवाहित पुत्रियों यदि कोई हो के ब्यौरे दिए हों, की सलाह दी गई है ताकि वह संशोधित पेंशन भुगतान आदेश जारी कर सके। ऐसे मामलों में जहां पेंशन प्राप्तकर्ता स्वतन्त्रता सेनानी की मृत्यु हो चुकी है और विधवा की ओर से पेंशन के हस्तान्तरण के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो गया है, ये अनुदेश है कि ये मामले जल्दी निपटाए जाएं।

(ग) से (ङ) लम्बित पड़े आवेदन पत्रों मामलों में पेंशन स्वीकृत कर दी के ब्यौरे, जिन गई हैं और जो अस्वीकृत कर दिए गए हैं उनकी संख्या का एक विवरण (राज्यवार) संलग्न है।

**विवरण**

| राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम | 1-8-80 से पहले प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या | 1-8-80 के बाद 31-3-82 तक प्राप्त | कालम 2 और 3 का जोड़ | स्वीकृत की गई पेंशन 1-8-80 तक | 1-8-80 के बाद | कालम 5 और 6 का जोड़ | अस्वीकृत | लंबित आवेदन पत्र जिनमें राज्य की रिपोर्ट्स की प्रतीक्षा है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 13679 | 6722 | 21301 | 5331 | 590 | 5921 | 10631 | 4749 |
| 2. असम | 16445 | 8453 | 24898 | 3915 | 105 | 4020 | 11445 | 9433 |
| 3. बिहार | 47894 | 44405 | 92299 | 19359 | 941 | 20300 | 35282 | 36717 |
| 4. गुजरात | 5636 | 491 | 6127 | 2909 | 284 | 3193 | 2880 | 54 |
| 5. हरियाणा | 2029 | 504 | 2533 | 1283 | 98 | 1381 | 722 | 430 |
| 6. हिमाचल प्रदेश | 773 | 347 | 1120 | 373 | 50 | 423 | 592 | 105 |
| 7. जम्मू और काश्मीर | 1653 | 1308 | 2961 | 807 | 108 | 915 | 956 | 1090 |
| 8. केरल | 9332 | 20067 | 29999 | 1995 | 121 | 2116 | 10854 | 17029 |
| 9. कर्नाटक | 12911 | 5319 | 18230 | 7387 | 1023 | 8410 | 3636 | 6184 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. मध्य प्रदेश | 5877 | 1462 | 7339 | 2775 | 172 | 2947 | 4365 | 27 |
| 11. महाराष्ट्र | 18247 | 14170 | 32417 | 10035 | 1031 | 11066 | 8852 | 12499 |
| 12. उड़ीसा | 7555 | 6753 | 14308 | 3540 | 105 | 3645 | 4598 | 6065 |
| 13. पंजाब | 9680 | 2728 | 12408 | 5103 | 409 | 5512 | 5125 | 1771 |
| 14. राजस्थान | 1091 | 454 | 1545 | 583 | 74 | 657 | 771 | 117 |
| 15. तमिलनाडु | 7070 | 2296 | 9366 | 3555 | 216 | 3771 | 4605 | 990 |
| 16. त्रिपुरा | 1911 | 440 | 2351 | 621 | 54 | 675 | 1166 | 510 |
| 17. उत्तर प्रदेश | 24229 | 2740 | 26969 | 15626 | 932 | 16558 | 7300 | 3111 |
| 18. पश्चिम बंगाल | 28062 | 47502 | 75564 | 14754 | 429 | 15183 | 13149 | 47232 |
| 19. अंडमान और निकोबार | 34 | 38 | 72 | 26 | 12 | 38 | 34 | — |
| 20. अरुणाचल प्रदेश | 1 | 40 | 41 | 2 | — | 2 | 35 | 4 |
| 21. चण्डीगढ़ | 99 | 41 | 140 | 64 | 17 | 81 | 39 | 20 |
| 22. दिल्ली | 2199 | 570 | 2769 | 1464 | 220 | 1784 | 952 | 33 |
| 23. गोआ | 1908 | 1002 | 2910 | 547 | 96 | 643 | 1506 | 761 |
| 24. मणीपुर | 125 | 25 | 150 | 58 | 1 | 59 | 56 | 35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. मेघालय | 124 | 27 | 151 | 68 | 1 | 69 | 77 | 5 |
| 26. मिजोरम | 3 | 1 | 4 | — | 3 | 3 | 1 | — |
| 27. नागालैंड | 15 | 4 | 19 | 3 | — | 3 | 6 | 10 |
| 28. पांडिचेरी | 1051 | 582 | 1733 | 232 | 33 | 265 | 1026 | 442 |
| 29. आ० हि० फो० के मामले | 29561 | 4805 70*+ | 34366 +70 | 16207 | 1690 | 17897 | 12035 | 4457 |
| कुल जोड़ | 249194 | 17489 70+ | 424090 +70 | 118722 | 8815 | 127537 | 142696 | 153880 |

* न्यू गुयना मामले